रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052022-235658 CG-DL-E-09052022-235658

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

No. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944 NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड]

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

## आय-कर

सा.का.िन. 343(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (v) और उपखंड (vi), धारा 12 कख की उपधारा (3), धारा 35 की उपधारा (1) के पहले और पांचवे परंतुक और उपधारा (1क), धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) और खंड (ix) साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-II में, -

3168 GI/2022 (1)

(i) प्ररूप सं. 3गच में,-

(क) पंक्ति 6ख के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी:-

			-	क्ते 6क में उल्लिखित धिक) हैं, के निम्नलिर्गि	है) ऐसा व्यष्टि नहीं है, त	ो ऐसे नैसर्गिक व्यक्ति, जो	आवेदन की तारीख	को ऐसे
क्रम संख्या	- नाम	विशिष्ट संख्या	-	ाबक) ह, का निम्नाला आईडी कोड	पता	व्यक्ति व्यष्टि के अतिरिक्त (जैसा कि पंक्ति 6क में उल्लिखित है) जिसमें हितकारी स्वामित्व है	स्वामित्व	की

(ख) पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी :-

योगशाला/	क्या धार	ा <sub>स्थापना</sub>	क्रियाकलाप	पता	क्या अपनेत्रक के		1	भारसाध	धक व्यक्ति	
नुसंधान सुविध	35 के अंतर्गत <sub>गा/</sub>	विर्ष	की प्रकृति		आवेदक के स्वामित्व	नाम	संपर्क		आईडी कोड	विशिष्ट
वेश्वविद्यालय/	आती है?				में है?		संख्या	आईडी		पहचान
हाविद्यालय/ अ	<sub>न्य</sub> (हां/नहीं)				(हां/नहीं)					संख्या";
स्था का नाम					(60.(61)					

(ग) पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी:-

"13	अ	विदन की तार	तिख को अनुसंधान संगम के स्वामित्वाधी	न अनुसंधान सुविधाओं/ अ	गस्तियों के ब्यौरे :	
		क्र.सं.	उपस्कर का वर्णन	उपकरण में विनिर्दिष्ट ब्यौरे	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत";

(घ) पंक्ति 16 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी:-

"16	आवे				ा रजिस्ट्रीकृत गए पेटेंट के ब		ऱ्याधिकार, व्या	गार चिन्ह या	वैसे ही अन्य अि	धेकारों के ब्यौरे :	
		क्र. सं.	आवि आवि ष्कार	विवरण	गए पट्ट कर आविष्का रक(आवि	आवेदक संगठन के	क्या पेटेंट के लिए	पेटेंट आवेदन	तारीख	यदि वाणिज्यीकृत	पेटेंट से आवेदन
			का शीर्ष		ष्कारकों) के नाम	साथ आविष्कार क	आवेदन किया गया है/ पेटेंट	संख्या / पेटेंट संख्या		या कार्यान्वित किया गया है	की तारीख तक
						(आविष्का रकों) का सहयोजन	प्रदान किया गया है			तो किस के द्वारा	अर्जन (रु)

(ख) आवेदित/प्रदान किए गए प्रतिलिप्याधिकार के ब्यौरे :

٠,			,							
	क्र.	रचना का	विवरण	लेखक	आवेदक	क्या	प्रतिलि	तारीख	यदि	प्रतिलि
	सं.	शीर्षक,		का	संगठन के	प्रतिलिप्या	प्या-		वाणिज्यीकृ	प्या-
		जिसके लिए		(लेखकों	साथ	-धिकार के	धिकार		त या	धिकार
		प्रतिलिप्या-		के)	लेखक	लिए	आवेदन		कार्यान्वित	से
		धिकार का		नाम	(कों) का	आवेदन	संख्या /		किया गया	आवेद
		आवेदन			सहयोजन	किया गया	प्रतिलि		है तो किस	न की
		किया गया				है/	प्या-		के द्वारा	तारीख
		है/प्रदान				प्रतिलिप्या	धिकार			तक
		किया गया				-धिकार	संख्या			अर्जन
		है				प्रदान	., .,			<b>(रु)</b>
						किया गया				
						है				

(ग) आवेदित या प्रदान किए गए व्यापार चिन्ह या वैसे ही अन्य अधिकारों के ब्यौरे :

क्र.सं	व्यापा र चिन्ह या वैसे ही अन्य अधि कारों का शीर्षक	वर्णन	आविष्का रक का (आविष्का रकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ आविष्कार क (कों) का सहयोजन	क्या व्यापार चिन्ह के लिए आवेदन किया गया है/व्या पार चिन्ह प्रदान किया गया है	व्यापार चिन्ह आवेदन संख्या / व्यापार चिन्ह संख्या	तारीख	यदि व्यापार चिन्ह वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया गया है तो किस के द्वारा	व्यापार चिन्ह या अन्य वैसे ही अधिकारों से आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

घ) विकसित किए गए नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और तकनीकों के ब्यौरे :

क्र.सं.	<u>प्रवर्</u> ग: नया	शीर्ष	विवरण	आविष्कारक	आवेदक संगठन के	यदि वाणिज्यीकृत	आवेदन की
	उत्पा <b>द/</b>			का (आविष्कारकों	साथ आविष्कारक (कों) का सहयोजन	या कार्यान्वित किया गया है तो किस के	तारीख तक अर्जन (रु)
	प्रक्रिया/ पद्धति/ तकनीक			के) नाम	(11) 11 110 110 1111	द्वारा	जजग (२)

(ङ) विद्यमान उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और तकनीकों में किए गए सुधारों के ब्यौरे :

`	,		,		, , , , ,			
	क्र.सं.	<u>प्रवर्ग:</u> वर्तमान	शीर्ष	विवरण	आविष्कारक	आवेदक संगठन के	यदि वाणिज्यीकृत	आवेदन की
		उत्पाद <b>/</b>			का	साथ आविष्कारक	या कार्यान्वित किया	तारीख तक
		प्रक्रिया/ पद्धति/			(आविष्कारकों	(कों) का सहयोजन	गया है तो किस के	अर्जन (रु)
		तकनीक			के) नाम		द्वारा	
		(14/114/						

(च) विकसित किए गए नए सिद्धांतों, मॉडल और परिकल्पना के ब्यौरे :

क्र.सं.	<u>प्रवर्</u> ग: नए सिद्धांत/ मॉडल/ परिकल्पना	शीर्ष	विवरण	लेखक का (लेखकों के) नाम	आवेदक संगठन के साथ लेखक (कों) का सहयोजन	क्या सिद्धांत या परिकल्पना व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)

(छ) आय	ात प्रतिस्थापन के	उत्पादों के ब्यौरे :	
क.	सं.	उत्पाद का विवरण	आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार हुआ के बारे में संक्षिप्त विवरण";

(ङ) पंक्ति 29 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी :-

"29	पूर्ववर्ती वर	र्घ के ठीक पूर्व के	पिछले तीन वर	र्घ में प्राप्त आय जिसमें	में प्राप्त आय जिसमें आवेदन किया गया है:					
	वित्तीय वर्ष	अनुसंधान प्रय प्राप्त दान	ोजनों के लिए	अनुसंधान के अलाव लिए प्राप्त दान	वा अन्य उद्देश्यों के	अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान	अन्य आय	कुल आय";		
		समग्र निधि	गैर समग्र निधि	समग्र निधि	गैर समग्र निधि					

(च) उपाबंध अनुलग्नक में, शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों "वित्त वर्ष	धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा
करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत" के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों,-	
"क्या आप धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा कर रहे हैं? हां/नहीं	
वित्त वर्षधारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए	अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत", को रखा
जाएगा;	

- (छ) "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए निर्देश" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर, "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए टिप्पणी" शब्दों, अक्षरों और अंको को रखा जाएगा;
- (ज) "प्ररूप सं. 3गच भरने के लिए टिप्पण"में,-
  - (I) खंड 5 में, उप-खंड i का लोप किया जायेगा;
  - (II) खंड 7 में, उप-खंड iii के पश्चात्, निम्न शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-'टिप्पण: उपकरणों के विनिर्दिष्ट विवरण को अन्य आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से भरा जाना आपेक्षित है |';
  - (III) खंड 8 में, उप-खंड vi के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-"vi. अन्य (कृपया संघ विनिर्दिष्ट करें)";
  - (IV) खंड 12 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
    - "12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:
      - जहां आवेदक को एक लिखत के अधीन गठित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
      - जहाँ आवेदक का गठन एक लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है, आवेदक सृजन, या स्थापना का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
      - यथास्थिति, कंपनीयों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार या अन्य

रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;

- जहां धारा 35के अधीन पिछला रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत कर दिया गया था, तो अस्वीकरण के आदेश की प्रति (यदि 5का उत्तर हां है)
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
- धारा 35के अधीन अनुमोदन देने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
- अनुसंधान गतिविधियों पर व्यापक टिप्पण (यदि आवेदक द्वारा अनुसंधान गतिविधियां नहीं की गई है तो स्वसत्यापित शून्य घोषण साथ लगाएं)
- आवेदक के गत तीन वर्षों के स्वसत्यापित लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की प्रति- )यदि पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षित खाते नहीं है तो प्रत्येक वर्ष का अलग से शून्य स्व सत्यापित घोषणा लगाएं-
- दाताओं की स्वसत्यापित प्रति-, उनके नाम पूरे डाक पते के साथ तथा उनके द्वारा दी गई राशि जो आवेदक को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई है। किसी वित्त वर्ष में पचास हजार रूपए से अधिक की राशि दी गई है तो दाता के आधार या पैन का वर्णन करें। (यदि गत तीन वर्षों में कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है तो स्व सत्यापित शून्य घोषणा लगाएं) |";
- (झ) "धारा 10 (21) और इसके खंड 1 और 2 अधीन छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध भरने के निर्देश" के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थातु:-

"धारा 10 (21) के अधीन किसी भी छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध करने के लिए टिप्पण

1 "वित्त वर्ष. \_\_\_\_\_\_\_ धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करते हुए अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत.

\_\_\_\_\_ " पंक्ति के स्थान पर, नए वित्त वर्ष का चयन करें जिसके लिए वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्ती वर्षों से लेखा बही की लेखापरीक्षा की गई है-, जिसमें कि आवेदन किया गया था।

2 पंक्ति 2 में निम्नलिखित "व्यक्ति" में से एक का चयन किया जाएगा:

(क) आवेदक का संस्थापक

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक के लिए एक लाख रुपये से अधिक का अभिदाय है

(ग) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कोई भी सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है

(घ) आवेदक का प्रबंधक (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो)

- (ड) संस्थापक के एक संबंधी, प्रबंधक के सदस्य
- (च) कोई समुत्थान जिसमें, क से ङ तक निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का सारवान् हित है ।
- 3 पंक्ति 4 में यदि कोई लाभ निर्दिष्ट किया गया है, तो लाभ, सुविधा या अनुज्ञप्ति की प्रकृति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करें.";
- (ii) प्ररूप 10क में,-
  - (क) पंक्ति 2 के पश्चात, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी:-

"2व	उप-श्रेणी			
2ख	आपको पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ	नहीं	·;

(ख) पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति अंत: स्थापित की जाएगी:-

"14क	कुल देनदारियां	". '
		•

(ग) पंक्ति 19 के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति अंत: स्थापित की जाएगी:-

- (घ) "प्ररूप सं. 10क भरने के लिए निर्देश" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा;
- (ड.) प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण में,-
- (I) खंड (2) और इसकी पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रविष्टियाँ इसके अंतर्गत रखी जाएगी, अर्थात्:-
- "2. धारा 12क/80छ/10(23ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पंक्ति 2 में निम्न कोड में से किसी एक का चयन करें

1	धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (कग) का उप खंड (i)	01
2	धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (कग) का उप खंड (vi)	02
3	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में आने वाले	03
	आवेदकों के लिए	
4	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में आने वाले	04
	आवेदकों के लिए	
5	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले	05
	आवेदकों के लिए	
6	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (23ग) के उपखंड (viक)	06
	में आने वाले आवेदकों के लिए	
7	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में आने वाले	07
	आवेदकों के लिए	
8	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) में आने वाले	08
	आवेदकों के लिए	
9	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) में आने वाले	09
	आवेदकों के लिए	
10	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (viक) में आने वाले आवेदकों के लिए	10
11	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (iv)	12

धारा 35 के उप-धारा (1) के लिए पांचवें परंतुक के अधीन सूचना के लिए आवेदन, पंक्ति 2 में निम्न कोडों में से किसी एक का चयन करें:

क्र.स.	श्रेणी		धारा 35 की उपधारा (1) के सुसंगत खंड		
1	वैज्ञानिक अनुसन्धान	खंड (ii) ान	अनुसंधान संगम	13	
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	14	
		खंड (iia)	कंपनी	15	

2	सामाजिक विज्ञान	खंड (iii)	अनुसंधान संगम	16	
			विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	17	
	nifend	<del>सं</del> च (;;;)	अनुसंधान संगम	18	
3	साख्यिका	खंड (iii)	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	19	

2क. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 14, 17 या 19 का चयन करता है, तो विकल्प "उप-श्रेणी" लागू होगा और निम्नलिखित उप-श्रेणी में से एक का चयन किया जाएगा:

क्र.स.	उप-श्रेणी
1.	विश्वविद्यालय
2.	महाविद्यालय
3.	अन्य संस्था";

- (II) खंड 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-
  - "8. पंक्ति संख्या 9क के स्थान पर, स्तंभ "संबंध", में निम्नलिखित में से एक या अधिक को रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - (क) लेखक
  - (ख) संस्थापक
  - (ग) विन्यासक
  - (घ) न्यासी
  - (ङ) समाज के सदस्य
  - (च) शासी परिषद के सदस्य
  - (छ) निदेशक
  - (ज) शेयरधारिता में 5 प्रतिशत या अधिक धारण करने वाले शेयरधारक
  - (झ) पदाधिकारी
  - (ञ) मुख्य अधिकारी
  - (ट) सत्यापन हेतु सक्षम व्यक्ति
  - (ठ) मुख्य सचिव
  - (ड) सचिव
  - (ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
  - (ण) मुख्य वित्त अधिकारी
  - (त) प्रबंधक
  - (थ) निर्धारिती
  - (द) कोई अन्य मुख्य अधिकारी
  - (ध) प्रबंध निदेशक
  - (न) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ";
- (III) खंड 11 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे:-
  - "11क. आवेदक के पास पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण अनुमोदन प्रमाण पत्र नहीं है तो इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे |";

# (IV) खंड 12 और पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

# "12 निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है

अनुभाग कोड	संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित  दस्तावेज
01	<ul> <li>जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42 )के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-</li> </ul>
	प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;  • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति।  जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)(यदि अंतिम किसी भी तीन वर्षों का संपरीक्षित वार्षिक लेखा नहीं है तब अलग से
	प्रत्येक वर्ष के लिए स्वप्रमाणित शून्य घोषणा प्रमाणपत्र संलग्न करें);
02	<ul> <li>जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> <li>जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कारगार उपक्रम किया जाता है और आवेदक वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित ऐसे से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संवंधित ऐसे</li> </ul>

	कारबार करने के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां और प्रति ऐसी अवधि के लिए धारा 44 कख
	के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति ;
	<ul> <li>यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले</li> </ul>
	आवेदन के अस्वीकृत आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
03/04/05/06	<ul> <li>जहां एक लिखत के अधीन आवेदक मृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-</li> </ul>
00/01/00/00	प्रमाणित प्रति;
	<ul> <li>जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन</li> </ul>
	या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	<ul> <li>यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के</li> </ul>
	साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	<ul> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि</li> </ul>
	आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	<ul> <li>आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 ग) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान</li> </ul>
	आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति।
	<ul> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें</li> </ul>
	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया
	गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं,  से संबंधित
	आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया
	जाएगा)।
07/08/09/10	जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-
	प्रमाणित प्रति;
	जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन
	या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;  • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के
	• यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के
	• यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	<ul> <li>यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें</li> </ul>
	<ul> <li>यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया</li> </ul>
	<ul> <li>यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित</li> </ul>
	<ul> <li>यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> </ul>
	<ul> <li>यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यिद आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> <li>धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-</li> </ul>
	<ul> <li>यथास्थित कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> <li>धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;</li> </ul>
11	<ul> <li>यथास्थित कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> <li>धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;</li> <li>जहां लिखत के अधीन आवेदक निर्मित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-</li> </ul>
11	<ul> <li>यथास्थित कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायिटयों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;</li> <li>विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;</li> <li>जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां</li> <li>धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;</li> </ul>

	या स्थापना के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति, कंपनीयों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के
	रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो;
	• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की स्व-
	प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-
	प्रमाणित प्रति।
	जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें
	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया
	गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं,  से संबंधित
	आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया
	जाएगा)।
12	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-
	प्रमाणित प्रति;
	• जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के सृजन
	या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति, कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के
	साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42)के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-
	प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें
	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया
	गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित
	आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां ।
	आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-
	प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
13-19	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-
	प्रमाणित प्रति;
	• जहां रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है,
	रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति के सृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के
	साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-
	प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	• धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
1,3,4,5,6, 11	• स्वप्रमाणित शपथपत्र जहां आवेदक पहले से जारी रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रमाणपत्र नहीं रखता है";

- (iii) प्ररूप सं. 10 कख में , -
- (क) पंक्ति 9ख के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

"9ख	-		-		कोई व्यक्ति एक व्य ो स्वामी (5 प्रतिश		क व्यक्तियों के निम्नर्लि	खेत ब्यौरे उपलब्ध	ग्र करें इ
	क्रम सं.	नाम	विशिष्ट संख्या	पहचान	आईडी कोड	पता	गैर व्यष्टि व्यक्ति (जैसा की पंक्ति 9क में वर्णित है) जिसमे हितकारी स्वामित्व है		का

(ख) पंक्ति 20 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"20क	कुल देनदारियां
	(ग) पंक्ति 25 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
"25क	कुल परिसंपत्तियां "-

(घ) पंक्ति 26 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:-

		पूर्व	वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व व	त्रर्षों में प्राप्त आय, जि	समें आवेदन	किया गया है	<i>:</i>
"26	पूर्व वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनीयों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय	कुल";	

- (ड) प्ररूप सं. 10कख भरने के निर्देश" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 10कख भरने के लिए टिप्पण" शब्दों , अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) प्ररूप सं. 10खघ में,-
- (क) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

#### "भाग ख

# दानदाताओं और दान का विवरण

क्रम	पूर्व पावती	दाता की विशिष्ट	आईडी कोड				दाता का	दाता का	दान का	प्राप्ति की	दान की
सं	स.	पहचान संख्या		कोड	रजिस्ट्री	रजिस्ट्री	नाम	पता	प्रकार	पद्धति	रकम
					संख्या (यू	संख्या					(भारतीय
					आर एन १	जारी					रुपए में)
						करने की					, ,
						तारीख					

12		THE GAZETTE OF INDIA:	EXTRAURDINARY [PARTII—Sec. 50	(1)]
;	मैं,	पुत्र / पुत्री	पूरी तरह से घोषणा करता हूँ कि मेरे ज्ञान उ	और
+	विश्वास के अ	नसार. प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही	और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानो	ां के
	अनुसार है।	<b>3 ,</b>		
	•		2 — 2 2 0 .— 2 — .a a:	
;	म आग घाषण	ा करता /करता हू ।क म इस प्रमाणपत्र का	के रूप में मेरी क्षमता में बनाना और मैं	इस
1	प्रमाण पत्र को	ा जारी करने के लिए सक्षम भी हूं। मेरा स्था	यी खाता संख्या यह है।	
			हस्ताक्ष	र";
			·	
	(ख) प्ररूप सं.	. 10खघ भरने के निर्देश" शब्दो के स्थान प	र, "प्ररूप सं. 10खघ भरने के लिए टिप्पण" शब्द, अंक ब	और
;	ं अक्षर रखे जा	गंगे.		
,		•	•	
	(v) प्ररूप	सं. 10खड़ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप	रखा जाएगा, अर्थात्:-	
		"प्ररूप	ा स. 10खड.	
		(नियम 18	कख देखें।	
थाग्रस	ज अधिनिगम	•	खंड (ix) के अधीन और धारा 35 की उपधारा (1क) को य	तंत
		• •	खंड (IX) के अवान आरे वारा 33 का उपवारा (1क) का उ	લક
(II) क 	ुअधान दान व	<b>का प्रमाण पत्र</b> पावती स		
		रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पैन	किखागिय   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0	
	1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम	किख गिघिडि 1 213 4 च	
	3	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता		
आदाता	4	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या (यू आर एन)		
	5	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करने की तारीख		
	6	विशिष्ट पहचान संख्या	पैन क ख ग घड 1 2 3 4 च	
늄			आधार	
दानदाताओं और दान का विवरण				
न भ				
भीर व			अन्य	
∏ओं अ	7	दाता का नाम		
निदात	8	दाता का पता		
lv	9	प्राप्त दान की रकम		
	10	वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ था		
	11	दान का प्रकार	कोर विनिर्दिष्ट 🗖 अन्य 🗖 अनुदान	
	12	वह धारा, जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	धारा धारा धारा धारा धारा 35(1)(ii	i)
			80평(5)(vi) 35(1)(ii) 35(1)(ii雨)	
				┛
		सत्या	पन	

क मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर

अधिनिय				•		•	-		-						• •						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •														_				_	• \		
प्रमाण प			ो क	रने के रि	लेए	सक्षम १	मी हूं।	मैं	स्थार्य	ो खा	ता सं	ख्या		•••••		•••••	••••		•••••	•••••	••••
धारण क	र रहा	हू ।												0							
														गरीख							•
													हस्ता								
								[अधि	ोसूचन	ना संर	<u> ज्या</u> 5	1/2	022 /	फाईल	र सं.	370	142	2/4/2	2021-	-टीपी	एल]
																	नेहा	सहा	य, अ	त्रर स	चिव
^	_			_							_			· ·	_						

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.341(अ) तारीख 6 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9<sup>th</sup> May, 2022

#### **INCOME-TAX**

**G.S.R. 343(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10, ninth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clauses (i) (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A, sub-section (3) of section 12AB, first and fifth proviso to sub-section (1) sub-section (1A) of section 35, clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G, third proviso to sub-section (5) of section 80G, clauses (viii) and (ix) of sub-section (5) of section 80G, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. Short title and commencement.—These rules may be called the Income-tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2022.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 in the APPENDIX-II, -
  - (i) In FORM No. 3CF,-
  - (a) for row 6b, the following row shall be substituted, namely: -

"6b	In case it beneficia	f any of p l owners	persons (as mentioned (5% or more) of such	in row 6a) is not an person as on the date	individual then provide t of application:	the following details of the	ne natural persons who are
	S. No.	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Person other than individual (as mentioned in row 6a) in which the beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership";
			_				

(b) for row 7, the following row shall be substituted, namely: -

Complete the deposition of the

Name of the laboratory/research facility/ university/college/ot her institution	Whether covered under section 35? (Yes/No)	Year of establish ment		Address	Whether owned by applicant ? (Yes/No)	Name	Person- Contact- Number	E- mail ID	ID Code	Unique Identification Number";
---	--	------------------------------	--	---------	---------------------------------------	------	-------------------------------	------------------	---------	--------------------------------------

(c) for row 13, the following row shall be substituted, namely: -

<b>"</b> 13	De	etails of resea	arch facilities/ assets owned by Research	h Association as on date o	f the application:		_
		S.No.	Description of the equipment	Specific details of equipment	Date of Acquisition	Cost of acquisition";	

(d) for row 16, the following row shall be substituted, namely: -

(a) Det	ails of patents	Applied/gra	nted:										
S.No.	Title of Inventi on	Descripti on	Name(s) of the Inventor (s)	Associatio n of the Inventor (s) with the Applicant organisati	Wheth the Patent applied ent gra	d/pat	Patent applica on Numbo /Patent Numbo	ati er t	Date		If comme sed or implem , then b whom	ented	Earnings from patents till date of application(Rs.)
											1		
	ils of details of	1,00	applied/grante	ed:									
S.No.	Title of creation f which th copy righ has beer applied o granted	or tion e nt n		Associati on of the Author(s) with the Applicant organisati	the co Rights applie Copy	py s d/	Copy Rights applica tion Numbe /Copy Right Numbe	er	Date		If commercia ed or mplement then by whom	llis g t ed C t t t t	Earnin gs From Copy Rights ill date of upplica ion Rs.)
(c) Detai	ls of trade ma	rks or other s	imilar rights a	applied or gra	nted:								
S.No.	Title of Trade marks or other similar rights		Name(s) A of the Inventor (s)	ssociation of the nventor(s) with the Applicant ganisation	Whethe r trade marks applied/ Trade Marks granted	Appli Num Trade	marks ication aber / e Mark mber	Da	ate	ma co ciall the	trade ark is omer- y used, en by hom	Earning from trade- marks other similar rights date of application (I	or r till f a-
(d) Doto	ils of new pro	duete press	sees methods	and tachnique	ac davalor	ad:							
S.No.	Category: No product/ process/ method/		Description Description	Name on tl	e(s) of ne ntor(s)	Asso Inve	ociation of entor(s) we e Applicate	vith nt	impl		alised or	till o	nings date of ication Rs.)

S.No.	Category Existing product/ process/ method/ technique	Title	Description	Name(s) of the Inventor(s)	Association of the Inventor(s) with the Applicant organisation	If commercialised or implemented, then by whom	Earnings till date of application (Rs.)
(f) Deta	ils of new theories, Category: New theories / models / hypothesis	Title	Description	Name(s) of the Authors(s)	Association of the Authors(s) with the Applicant organisation	Whether the theory or hypothesis is widely accepted.	Earnings till date of application (Rs.)
(g) Det	ails of Products of	Import Su	bstitution:				

(e) for row 29, the following row shall be substituted, namely: -

"	29	Income rec	ceived in three	previous years i	mmediately precedin	nmediately preceding the previous year in which application is made:							
		Financial Year	Donations Rec Research Purp	ceived for	Donation Received than research		Grant Received for research purposes	Other income	Total Income				
			Corpus	Non Corpus	Corpus	Non Corpus							

(f) in the Annexure, for the words, brackets and figures "To be furnished by a research association claiming
exemption under section 10(21) Financial Year" the words, brackets and figures
"Whether you are claiming exemption under section 10(21)? Yes /No
To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year.
shall be substituted;
(g) for the words figure and letters "Instructions to fill Form No. 3CF", the words, figure and letters "Notes
to fill Form No. 3CF" shall be substituted;
(h) in the "Notes to fill Form No. 3CF",-
(I) in clause 5, sub-clause i shall be omitted;
(II) in clause 7, after sub-clause iii, the following words, shall be inserted, namely:-
'Note: Specific details of equipment is required to be mandatorily filled in case of Other assets. ';
(III) in clause 8, for sub-clause vi, the following sub-clause shall be substituted, namely:-
"vi. Others (Please Specify the association)";
(IV) for clause 12, the following clause shall be substituted, namely:-

- "12. The following documents are required to be attached:
  - $\bullet \qquad \text{where the applicant is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument;}\\$
  - where the applicant is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;
  - self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
  - where past registration under section 35 was rejected, then copy of order of rejection (if answer to 5 is yes)

- self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, if the applicant is registered under the said Act;
- self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35;
- a comprehensive note on research activities undertaken by the applicant (If there are no research activities undertaken by the applicant then attach self-certified NIL declaration);
- self-certified copy of audited annual accounts of the applicant for the last three years (If there is no audited annual
  accounts of the applicant for any of the last three years then attach self-certified NIL declaration for each year
  separately);
- self-certified copy of Donors, along with their names, complete postal address and the amount paid by each of
  them to the applicant during last three years. Mention PAN or aadhar of donors paying the sums in excess of fifty
  thousand rupees in any of the three financial years (If there is no donation received during the last three years then
  attach self-certified NIL declaration).";
- (i) for the "Instructions to fill Annexure in case claiming exemption 10 (21) and clauses 1 and 2 thereunder", the the following shall be substituted, namely:-

"Notes to fill Annexure in the case of claiming any exemption under section 10 (21)

- For the row "To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial
  Year. \_\_\_\_\_\_", select the latest Financial Year for which the books of accounts had been audited
  out of three preceding financial Years immediately preceding the Financial Year in which application is
  made.
- 2. In row 2 in "Person" one of the following shall be selected:
  - (a) Founder of applicant
  - (b) Any person who has made contribution exceeding rupees one lakh to the applicant
  - (c) Any member of a Hindu undivided family (HUF) where the HUF is a founder
  - (d) The manager (by whatever name called) of the applicant
  - (e) A relative of the founder, member of the manager
  - (f) Any concern in which any of the persons referred to in a-e have a substantial interest.
- 3. In row 4 if any benefit has been specified, provide a detailed statement of the nature of the benefit, amenity or perquisite.";
- (ii) in Form 10A,-

(a) after row 2, the following rows shall be inserted, namely:-

"2a.	Sub-Category				
2b.	Has any registration/approval certificate been issue earlier?	ed to you Yes		No	",
(b)	after row 14, the following row shall be	inserted, namely:-			
	"14a. Total Liabilities		";		
(c)	after row 19, the following row shall be	inserted, namely:-			
(0)	·				

- (d) for the words, figures and letter "Instructions to fill Form No. 10A", the words, figures and letter "Notes to fill Form No. 10A" shall be substituted:
- (e) in the "Notes to fill Form No. 10A",-
  - (I) for clause (2) and rows thereunder, the following clauses and entries thereunder shall be substituted, namely:-

"2. Application for registration under section 12A/80G/10(23C) select one of the following code in row 2:

1.	Sub clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2.	Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	03
4.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	04
5.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	05
6.	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	06
7.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	07
8.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	08
9.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 1	09
10.	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	10
11.	Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	11
12.	Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	12

Application for intimation under Fifth proviso to sub-section (1) of section 35, select one of the following codes in row 2:

Sr.No	Category	R	Relevant clause of sub-section (1) of section 35			
		Clause (ii)	Research Association	13		
1.	Scientific Research	Clause (ii)	University, college or other institution	14		
		Clause(iia)	Company	15		
2	Social Science Research	Clause(iii)	Research Association	16		
2.	Social Science Research	Clause(III)	University, college or other institution	17		
3.	Statistical Research	Clause(iii)	Research Association	18		
٥.	Staustical Research	Ciause(III)	University, college or other institution	19		

2a. If applicant selects code 14, 17 or 19 in row 2, then option "sub-category" shall be applicable and one of the following sub-category shall be selected:

Sr.No.	Sub-Category
1.	University
2.	College
3.	Other Institution";

- (II) for clause 8 and entries thereunder, the following clause and entries shall be substituted, namely:-
  - "8. For row number 9a, column "Relation", one or more of the following shall be substituted, namely:-
  - a. Author
  - b. Founder
  - c. Settlor
  - d. Trustee
  - e. Members of society
  - f. Members of the Governing Council
  - g. Director
  - h. Shareholders holding 5per cent. or more of shareholding

- i. Office Bearer
- j. Principal Officer
- k. Person Competent to verify
- 1. Principal Secretary
- m. Secretary
- n. Chief Executive Officer
- o. Chief Financial Officer
- p. Manager
- q. Representative Assessee
- r. Any other Principal Officer
- s. Managing director
- t. Authorised signatory";
- (III) after clause 11 , the following clause shall be inserted, namely:-

"11A. If applicant does not have registration/approval certificate issued earlier, then submit an affidavit to that effect.";

(IV) for clause 12 and rows thereunder, the following clause and rows shall be substituted, namely:-

"12 The following documents are required to be attached

Section	Documents required to be attached
code	
01	where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
	<ul> <li>where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of existing order granting registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be.</li> </ul>
	where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up( to be provided if answer to row 10 is "No"). (If there is no audited annual accounts of the applicant for any of the last three years then attach self-certified NIL declaration for each year separately);
02	<ul> <li>where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;</li> </ul>
	<ul> <li>where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	<ul> <li>where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;</li> </ul>
	<ul> <li>where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self- certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be, if any;</li> </ul>
03/04/05/06	where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
	<ul> <li>where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	• self-certified copy of existing order granting registration under clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act.
	<ul> <li>where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the</li> </ul>

	application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is "No").
07/08/09/10	where the applicant is created, is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
07/00/09/10	<ul> <li>where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	<ul> <li>where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;</li> </ul>
	• self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 10(23C), if any;
11	<ul> <li>where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;</li> </ul>
	<ul> <li>where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant6;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of existing order granting registration under section 80G of the Income-tax Act. where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is "No").</li> </ul>
12	• where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
	<ul> <li>where the trust is created, or the institution is established, otherwise than under an instrument, self- certified copy of the document evidencing the creation of the trust, or establishment of the institution;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	where the applicant or the institution has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
	<ul> <li>self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 80G, if any;</li> </ul>
13-19	<ul> <li>where the reporting person is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument;</li> </ul>
	<ul> <li>where the reporting person is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the reporting person;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;</li> </ul>
	<ul> <li>self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35.</li> </ul>
1,3,4,5,6,11	Self-certified Affidavit where the applicant does not have earlier issued registration or approval certificate. ";

# (iii) in FORM No. 10AB, -

(a) for row 9b, the following row shall be substituted, namely:-

S.No.	Name	Unique	ID code	Address	Non-Individual	Percentage of
		Identification Number			person(as mentioned in row	beneficial ownership";
					9a) in which the beneficial	

(b) after row 20, the following row shall be inserted, namely:-

"20a	Total Liabilities	";

(	(c)	after row 25,	the following	row shall be	inserted, namely:-
١	ν,	unter 10 w 25,	the following	10 W BIIdii 00	miscred, mamery.

"25a	Total Assets	

(d) for row 26, the following row shall be substituted, namely:-

"26.	6. Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:						
	Previous Year	Grants received from Central or State Government	Grants received from Companies under Corporate Social Responsibility	Other Specific Grants	Other income	Total";	

- (e) for the words, figures and letters "Instructions to fill Form No. 10AB", the words, figures and letters "Notes to fill Form No. 10AB" shall be substituted;
  - (iv) in FORM No. 10BD,
    - a. for Part B, the following shall be substituted, namely:-

#### "Part B Details of the donors and donations

Sl. No.	Pre Acknowledgement No.'s	Unique Identification Number of the donor	ID code	Section code	Unique Registration Number (URN)	Date of Issuance of Unique Registration Number	Name of donor	Address of donor	Donation Type	Mode of receipt	Amount of donation (Indian rupees)	
------------	---------------------------------	--	---------	-----------------	---	--	---------------------	------------------------	------------------	-----------------------	--	--

I	,son/daughter of	_,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of
my kr	nowledge and helief	

I undertake to communicate forth with any alteration in the particulars submitted, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as \_\_\_\_\_\_(designation) having Permanent Account Number (PAN) \_\_\_\_\_ and that I am competent to file this form and verify it.

Signature";

- b. for the words "Instructions to fill this form", the words, figures and letters "Notes to fill Form No. 10BD" shall be substituted;
- (v) for FORM No. 10BE, the following FORM shall be substituted, namely:-

### " FORM No. 10BE

### (See rule 18AB)

Certificate of donation under clause (ix) of sub-section (5) of section 80G and under clause (ii) of sub-section (1A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961

		Acknowledgement Number	A	B C D	0	2	2	2 0	0	0 0	0	0	1
Donee	1	PAN of the reporting person		A B	С	D	]	Е	1	2 3	4	F	
	2	Name of the reporting person											-
	3	Address of the reporting person											
	4	Unique Registration Number (URN)											

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

	5	Date of Issue of Unique Registration Number	
	6	Unique Identification Number	PAN A B C D E 1 2 3 4 F
			Aadhaar
			Other
tions			
Donor and donations	7	Name of Donor	
	8	Address of Donor	
	9	Amount of donation received	
	10	Financial year in which such donation was received	
	11	Type of donation	Corpus
	12	Section under which donation is eligible for deduction	Section Section Section Section Section $\square$ Section $\square$ Section $\square$ Section $\square$ Section $\square$ 35(1)(iii)

#### VERIFICATION

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my k	knowledge and belief, the information given in	the
certificate is correct and complete and is in accordance with the	he provisions of the Income-tax Act, 1961. I furth	her
declare that I am making this certificate in my capacity as_	and I am also competent to issue t	this
certificate. I am holding permanentaccount number		
	Date:	
	Signature:	"

NEHA SAHAY, Under Secy.

[Notification No. 51/2022/ F. No. 370142/4/2021-TPL]

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R 341(E), dated the 6th May, 2022